उप पंजीयक जयपुर (द्वितीय) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
सत्यमेव जयते
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II

।।श्रीरामजी।।

<u>विक्रय पत्र</u>

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 17/12/2013 ईस्वी को कृष्ण **कुमार शर्मा** पुत्र श्री दयाकान्त शर्मा आयु 45 वर्ष,जाति ब्राहमण, निवासी प्लाट नम्बर 34,मिलाप नगर, टोंक रोड,जयपुर (राज0)-विक्रेता जिन्हें इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि उनके उत्तराधिकारी,प्रतिनिधि,स्थानापन्न एवं वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेगें)की ओर **रामाकृष्णा शिक्षा समिति** कार्यालय डी-391,मालवीया नगर,जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री दयाकान्त शर्मा पुत्र स्व.श्री दौलतराम शर्मा आयु 70वर्ष,जाति ब्राहमण,पेशा

द. दयाकान्त शर्मा

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

सेवानिवृत,निवासी 35,मिलाप नगर,टोंक रोड,जयपुर(राज) - क्रेता समिति जिन्हें इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द द्वितीयपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है(जिसमें कि उनके पदाधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न एवं वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेगें) के हित में निम्न प्रकार लिखा व तस्दीक किया जा रहा है।

जोकि वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या, पटवार क्षेत्र लाखना, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 558रकबा 0.1400 हैक्टर स्थित है,जो सम्पूर्ण भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रथमपक्ष के नाम से दर्ज एवं अंकित है।जिस कृषि भूमि को हर प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्रथमपक्ष को प्राप्त है तथा प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के अपने खरीदशुदा हिस्से को आज तक किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा संस्था को रहन, विक्रय, बख्शीश व हस्तान्तरित आदि नहीं किया है जो हर प्रकार के ऋणभार, झगडे-टन्टे, वाद-विवाद आदि से पूर्णतया मुक्त पाक व साफ है।

यह कि प्रथमपक्ष को अपनी निजी,पारिवारिक एव अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 558 रकबा 0.1400 हैक्टर में से दक्षिणी ओर की 0.0400 हैक्टर यानि 1400.00 वर्गमीटर भूमि जो प्रथमपक्ष का खरीदशुदा एवं काश्तकारी खातेदारी का है,स्थित ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या,तहसील सांगानेर,जिला जयपुर को मय उसके समस्त खातेदारी अधिकारों सहित के मय उसके कुल स्वत्वों व अधिकारों सहित बिना रखे इसमें अपना किसी प्रकार का कोई हक व अंश के कुल मुबलिग राशि 3,50,000/-रुपये अक्षरे तीन लाख पचास हजार रुपयों के बदले में द्वितीयपक्ष को कतई विक्रय कर दिया है तथा विक्रय मूल्यधन की सम्पूर्ण राशि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से जरिये चैक नम्बर 004019 दिनांक 17 दिसम्बर 2013 आईसीआईसीआई

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

आज दिनांक 17 माह दिसम्बर सन् 2013 को 11:48 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KRISHAN KUMAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DAYAKANT SHARMA
उम्र 45 वर्ष, जाति BRAHMIN व्यवसाय SERVICE
निवासी 34 MILAP NAGAR TONK ROAD JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2013052029778)
(Sale Deed (Conveyance deed))

उप पंजीयक JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय जयपुर

रसीद नं0	[2013052029762]
दिनांक	[17-12-2013]
पंजीयन शुल्क रु0	3500
प्रतिलिपि शुल्क रु0	0
पृष्ठांकन शुल्क रु0	300
अन्य शुल्क रु0	1736
कमी स्टाम्प शुल्क रु0	2360
कुल योग रु0	7896

(2013052029778) उपपंजीयक, जयपुर-II
((Sale Deed (Conveyance deed)))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -KRISHAN KUMAR SHARMA / DAYAKANT SHARMA
उम्र -45 वर्ष जाति - BRAHMIN, व्यवसाय -SERVICE
निवासी - 34 MILAP NAGAR TONK ROAD JAIPUR

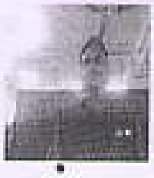

(And Claiment)
1 -DAYAKANT SHARMA / LATE DAULAT RAM SHARMA
उम्र -70 वर्ष जाति - BRAHMIN व्यवसाय -RETIERED
निवासी -35 MILAP NAGAR TONK ROAD JAIPUR AS PRESIDENT OF RAMAKRISHANA EDUCATION SAMITI

ने लेखपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रु0 350000/- पूर्व मै/मेरेसमक्ष / मे से रु0 350000/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री VIMLA DEVI SHARMA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री D K SHARMA
उम्र -67 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी 35 MILAP NAGAR TONK ROAD JAIPUR , ,

2- श्री/श्रीमती/सुश्री SHRIKANT SHARMA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री 0
उम्र -0 वर्ष जाति-null व्यवसाय -DEED WRITER
निवासी JAIPUR,,

ने की है जिनके समक्ष हस्ताक्षर एंव अंगूठे के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2013052029778)
Sale Deed (Conveyance deed)

उप पंजीयक, JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय जयपुर

बैंक लि0,जयपुर शाखा द्वारा प्राप्त करली है, तथा अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से विक्रय मूल्यधन की राशि में से कुछ भी, लेना शेष नहीं रहा है ।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि का खाली का वास्तविक कब्जा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को आज ही मौके पर करवा दिया है,अब द्वितीयपक्ष उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबा 0.0400 हैक्टयर के एकमात्र मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी हो गये हैं व रहेंगे, अब द्वितीयपक्ष बहैसियत मालिक जिस प्रकार से भी चाहे उक्त कृषि भूमि को अपने उपयोग एवं उपभोग में लेवे, उसमें स्वयं काश्त करे, किसी को ठेके पर देवे, उसका नामान्तरकरण अपने नाम से करावे, उसका तकासमा करावे,उसको अन्य प्रयोजनार्थ रुपान्तरित करावे, तथा हर प्रकार से रहन, विक्रय,बख्शीश एवं हस्तान्तरित आदि कर फायदा उठावे। अब इस विक्रय की गई सम्पूर्ण कृषि भूमि से प्रथमपक्ष का या उनके किसी भी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानापन्नों, वारिसानों आदि का किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है व ना ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि के बाबत अगर आज से पूर्व का किसी प्रकार का कोई लगान, ऋणभार, झगडा, टण्टा, वाद विवाद आदि किसी प्रकार का सरकारी, अर्द्ध-सरकारी या जन साधारण आदि का बकाया निकलेगा तो उनकी अदायगी व निस्तारण की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी। अगर कोई व्यक्ति, बैंक या संस्था आदि इस विक्रय के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति करेंगे या प्रथमपक्ष के मालिकाना अधिकारों में किसी प्रकार की त्रुटि निकलेगी जिससे द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की क्षति होगी तो इन सब प्रकार की त्रुटियों का निपटारा प्रथमपक्ष अपने स्वयं के हर्जे एवं खर्चे से करेगी, द्वितीयपक्ष का इन सब प्रकार की त्रुटियों से किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं होगा ।

यह कि उक्त कृषि भूमि के बाबत आज तक जो भी हक व अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वे सभी हक व अधिकार आज से द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये हैं व रहेंगे।

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

इस विक्रय पत्र के पंजीयन आदि का समस्त खर्चा द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया गया है।

यह कि उक्त भूमि से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात् प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को संभला दिये हैं,अब द्वितीयपक्ष इस विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा लेवे,समस्त रिकार्ड सरकारी, अर्द्ध-सरकारी आदि में अपने नाम से दर्ज करवा लेवे, इसमें प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों बयानों आदि की आवश्यकता होगी तो इसके लिये प्रथमपक्ष सदैव तैयार रहेंगी ।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि का मन्दिर माफी से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इस पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण या वाद विवाद लम्बित नहीं है तथा विक्रय की गई कृषि भूमि मुख्य सड़क से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष ने स्वस्थ्य चित्त तथा स्थिरबुद्धि की अवस्था में बिना किसी जोर व जब्र के स्वेच्छा से एक किता स्टाम्प कीमती 15,000/- रुपये व तीन किता पाई पेपर पर टाइप करवा कर व बाद टाइप तमाम इबारत को भली प्रकार से पढ़, सुन व समझ कर निम्न गवाहान की उपस्थिति में इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे । इति । दिनांक 17/12/2013

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता :

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता :

(बहैसियत अध्यक्ष रामाकृष्णा शिक्षा समिति)

गवाहः विमलादेवी शर्मा

D.K. Sharma -
3 S. ... Nagar
Tonk Road Jaipur

गवाहः

Shri Kant Sharma

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

₹ 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

Z 629093

10454 SPL.ADH राजस्थान
151035 OCT 23 2008
15:51
Rs.0089000/- PB6662
STAMP DUTY RAJASTHAN

Rajasthan Circle
Collectorate Post Office
Collectorate, Jaipur - 302016

॥ श्रीरामजी ॥

उपहार–पत्र

यह उपहार–पत्र आज दिनांक 23-10-2008 ईस्वी को जयपुर नगर में कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री दयाकान्त शर्मा आयु 40 वर्ष जाति ब्राहमण पेशा व्यापार निवासी प्लाट नम्बर 34, मिलाप नगर, टोंक रोड, जयपुर (राज0)–**उपहारकर्ता** जिन्हें इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द **प्रथमपक्ष** के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न व वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) की ओर से रामाकृष्णा शिक्षा समिति कार्यालय डी–391, मालविया नगर,जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री दयाकान्त शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री दौलत राम शर्मा आयु 65 वर्ष जाति ब्राहमण पेशा

कृष्ण कुमार   द्वै. दयाकान्त शर्मा

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

सेवानिवृत निवासी 34, मिलाप नगर, टोंक रोड,जयपुर (राज0) – उपहारगृहिता संस्था जिन्हें इस प्रलेख में आगे चलकर शब्द ''द्वितीयपक्ष''के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें कि उक्त संस्था के पदाधिकारी, सदस्य, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे) के हित में निम्न प्रकार से लिखा व तस्दीक किया जा रहा है।

जोकि वाके ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार क्षेत्र लाखना भू–अभिलेख निरिक्षक कुंज वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 557 रकबा 0.21 हैक्टर व खसरा नम्बर 558/880 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता दो व कुल रकका 0.26 हैक्टर स्थित है। इस सम्पूर्ण कृषि भूमि व खसरा नम्बर 558 रकबा 0.14 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 559 खसरा नम्बर 560 व खसरा नम्बर 561 तीनों में से 0.10 हैक्टर इस प्रकार से कुल 0.50 हैक्टर कृषि भूमि को प्रथमपक्ष ने जरिये विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 1 सितम्बर 2008 के श्री घासी,ओंकार, हनुमान,बोदू पुत्रान् श्री नाथूराम व श्री जगदीश पुत्र श्री जयनारायण जातियान बागड़ा ब्राहमण निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर जिला जयपुर से खरीद किया है, जिस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री प्रथमपक्ष के हक में उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय के यहां पर पंजीयन क्रमांक 2008399002644 बुक नम्बर 1 वाल्यूम नम्बर 78 के पेज नम्बर 93 पर दिनांक 1 सितम्बर 2008 को हुई है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष उक्त वर्णित कृषि भूमि के बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर एवं साझे के एकमात्र मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी है, जिस कृषि भूमि को हर प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश एवं हस्तान्तरित आदि नहीं किया है जो हर प्रकार के ऋणभार, झगड़े टण्टे एवं वाद विवाद आदि से पूर्णतया मुक्त पाक व साफ है ।

जोकि द्वितीयपक्ष एक शैक्षिक संस्थान है तथा द्वितीयपक्ष का कार्य शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष के कार्यकलापों से प्रसन्न होकर अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि में से उक्त वर्णित खसरा नम्बर 557 रकबा 0.21 हैक्टर व खसरा नम्बर 558/880 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता दो व कुल रकका 0.26 हैक्टर स्थित ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या पटवार क्षेत्र लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर को बिना किसी प्रतिफल के द्वितीयपक्ष को उपहार में प्रदान करते हैं तथा इस उपहार पत्र द्वारा उपहार की गई सम्पूर्ण कृषि भूमि खसरा नम्बर 557 रकबा 0.21 हैक्टर व खसरा नम्बर 558/880 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता दो व कुल रकका 0.26 हैक्टर का कब्जा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को आज ही मौके पर संभला दिया है तथा अब द्वितीयपक्ष उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि की एकमात्र मालिक,काबिज,स्वामी व अधिकारी हो गये है व रहेंगे तथा उक्त कृषि भूमि के बाबत जो भी हक व अधिकार आज तक प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वे सभी हक व अधिकार आज से प्रथमपक्ष के समान ही द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये हैं व रहेंगे। अब द्वितीयपक्ष इस उपहार पत्र द्वारा उपहार की गई उक्त वर्णित कृषि भूमि को बहैसियत मालिक जिस प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेवे, उसका भू–उपयोग परिवर्तित करावे, उसमें अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य करावे, पानी–बिजली के कनेक्शन प्राप्त करे, स्वयं के कार्यों के लिये उपयोग में लेवे, किरायेदार रखे तथा हर प्रकार से रहन, विक्रय बख्शीश व हस्तान्तरित आदि कर फायदा उठावे। अब इस उपहार पत्र द्वारा उपहार की गई उक्त वर्णित कृषि भूमि से प्रथमपक्ष या उनके किसी भी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न,

आज दिनांक 23 माह अक्टूबर सन् 2008 को 03:52 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KRISHAN KUMAR SHARMA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DAYAKANT SHARMA
उम्र 40 वर्ष, जाति BRAHMIN व्यवसाय BUSINESS
निवासी P.NO. 34 MILAP NAGAR TONK ROAD JAIPUR null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2008397020626)
(Gift Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक
JAIPUR-V

रसीद नं०	[2008397021080]
दिनांक	[23-10-2008]
पंजीयन शुल्क रु०	12480
प्रतिलिपि शुल्क रु०	0
पृष्ठांकन शुल्क रु०	200
अन्य शुल्क रु०	0
कमी स्टाम्प शुल्क रु०	840
कुल योग रु०	13520

(2008397020626)
((Gift Deed))

उप पंजीयक JAIPUR-V

वारिसान आदि का कोई हक़ व सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही भविष्य में रहेगा।

यह कि अब द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह इस उपहार पत्र द्वारा उपहार की गई कृषि भूमि को सभी रिकार्ड सरकारी,अर्द्ध–सरकारी में अपने नाम से दर्ज करवा सकेंगे।

यह कि इस उपहार पत्र का समस्त खर्चा द्वितीयपक्ष द्वारा वहन किया गया है।

यह कि द्वितीयपक्ष इस उपहार पत्र को स्वीकार करके इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है तथा उपहार की गई कृषि भूमि का कब्जा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष से प्राप्त कर लिया है।

अतः यह उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हित में अपनी राजीखुशी होश–हवास की दुरुस्ती में एक किता स्टाम्प कीमती 99000/–रूपयेव दो किता पेपरों पर लिख दिया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इति। दिनांक 23/10/2008

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष उपहारकर्तागण

मैंने इस उपहार पत्र को भली प्रकार से पढ व समझ लिया है तथा यह उपहार मुझे स्वीकार है ।

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष उपहारगृहिता

(बहैसियत अध्यक्ष रामाकृष्णा शिक्षा समिति)

गवाह

Shri Kant Sharma

गवाह

R.C. [illegible]

उप पंजीयक, जयपुर

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1 -KRISHAN KUMAR SHARMA / DAYAKANT SHARMA
उम्र -40 वर्ष जाति - BRAHMIN, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - P.NO. 34 MILAP NAGAR TONK ROAD JAIPUR

Signature | Photo | Thumb

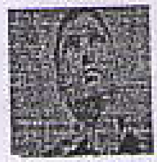
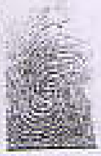

(And Claiment)
1 -DAYAKANT SHARMA / DAULAT RAM SHARMA
उम्र -65 वर्ष जाति - BRAHMIN व्यवसाय -RETIERED
निवासी -34 MILAP NAGAR TONK ROAD JAIPUR AS PRESIDENT
RAMA KRISHNA SHIKSHA SAMITI JAIPUR

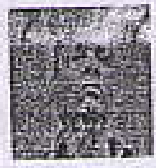

ने लेखपत्र Gift Deed को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० ________ पूर्व में/लोरेसमक्ष / मे है रू० ________ पूर्व में ________ मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री SHRIKANT SHARMA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री DEED WRITER
उम्र -0 वर्ष जाति-null व्यवसाय -DEED WRITER
निवासी JAIPUR,,

2- श्री/श्रीमती/सुश्री R.C. GARG
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री B.L. GARG
उम्र -43 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -SERVICE
निवासी 2-GHA-16 SHASTRI NAGAR JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये है।

उप पंजीयक, JAIPUR-V

(2008397020626)
Gift Deed

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
की मालियत रुपये 1248000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 840 पर कमी पंजीयन शुल्क रुपये 12480 कुल रुपये 13320 जरिये रसीद संख्या [2008397021080]
दिनांक [23-10-2008] जो जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रुपये 99840
के मुद्रांको पर निष्पादित माना जाता है।

(2008397020626) उप पंजीयक
(Gift Deed)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम,

आज दिनांक 23/10/2008 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 230
में पृष्ठ संख्या 139 क्रम संख्या 2008397013492पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 919
के पृष्ठ संख्या 472 से 479
पर चस्पा किया गया।

(2008397020626)
Gift Deed

सब रजिस्ट्रार JAIPUR-V जयपुर
पंचम,